षोडश बिहार विधान सभा

नवम् सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-20 बुधवार, दिनांक-28 मार्च, 2018 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.10 बजे अपराह्न तक ।

[1] **अन्य चर्चाएँ** :-

प्रश्नकाल प्रारम्भ होते ही माननीय सदस्य श्री शिवचन्द्र राम द्वारा आज के लिए दिये गये कार्य स्थगन के प्रस्ताव के विषय पर बोलने का प्रयास किया गया ।

आसन द्वारा कहा गया कि कार्य स्थगन प्रस्ताव को लाने का समय निर्धारित है । आप समय पर उठायेंगे तो आसन द्वारा उस पर नियमन दिया जायेगा ।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा दिनांक 27.03.2018 को बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018 पर मतदान का विषय उठाया गया ।

माननीय मंत्री श्री नन्द किशोर यादव द्वारा मत विभाजन के संबंध में बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-56 का उल्लेख किया गया ।

आसन द्वारा कहा गया कि आसन को मत विभाजन की प्रक्रिया से कभी गुरेज नहीं रहा है । हमने तो खड़े होकर गिनती की बजाय दोनों वेश्म में विभक्त कर भी मतदान कराया है । आसन आपको आश्वस्त करता है कि वह कभी भी किसी पक्ष के साथ नहीं जा सकता है । आसन हमेशा सीधा चलता है और सीधा चलेगा ।

[2] **प्रश्नकाल** :-

(i) 02 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 01 अल्पसूचित प्रश्न संख्या-41, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानान्तरित ।

(iii) 15 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iv) 02 तारांकित प्रश्न संख्या-2306 गृह विभाग एवं संख्या-2316 नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानान्तरित ।

(v) 01 तारांकित प्रश्न संख्या-2321 स्थगित ।

(vi) 04 तारांकित प्रश्न अपृष्ट ।

(vii) 189 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[3] कार्य स्थगन प्रस्ताव :-

माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव, श्री शिवचन्द्र राम एवं श्री राजेन्द्र कुमार से प्राप्त कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य किये जाने की घोषणा की गयी ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना अमान्य किये जाने की घोषणा के उपरान्त माननीय सदस्य श्री शिवचन्द्र राम द्वारा एस.सी./एस.टी. एक्ट एवं आरक्षण का विषय उठाया गया ।

आसन द्वारा कहा गया कि यह विषय इस सदन या बिहार सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है । इसलिए इस विषय पर इस सदन में चर्चा नहीं करायी जा सकती है । आपके पास अलग-अलग फोरम है उसपर आप काम करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

[4] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचना अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i) श्रीमती पूनम देवी यादव (ii) श्री ललन पासवान

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर जाने का अनुरोध किया गया ।

किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 04.52 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[5] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

माननीय सभापति लोक लेखा समिति श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा समिति का 633वाँ, 638वाँ, 641वाँ एवं 642वें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

[6] विधायी कार्य :-

राजकीय विधेयक :-

''बिहार विद्युत शुल्क विधेयक, 2018''

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री रामदेव राय एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा दिए गए सभी संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा विधेयक पर अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा अपना पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त बिहार विद्युत शुल्क विधेयक, 2018 सदन से स्वीकृत हुआ ।

"बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् विधेयक, 2018"

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडश: विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री रामदेव राय एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा दिए गए सभी संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव एवं श्री विजय शंकर दूबे द्वारा विधेयक पर अपना-अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा अपना पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् विधेयक, 2018 सदन से स्वीकृत हुआ ।

[7] **निवेदन :-**

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 29 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे ।

तदुपरान्त् सभा की बैठक सोमवार, दिनांक-02 अप्रील, 2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-28.03.2018

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।